झारखण्ड विधान-सभा सदस्य

(दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय,
राँची

मार्च 2022/चैत्र 1943 (शक)

प्रस्तावना

संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, जिसे संसद ने हमारी राजनीतिक व्यवस्था में दल परिवर्तन की बुराई को समाप्त करने के लिए पारित किया था, 1 मार्च, 1985 से लागू हुआ । स्थान रिक्त करने और संसद अथवा किसी राज्य के विधान मंडल का सदस्य होने के लिए निरर्हता के संबंध में इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 एवं 191 में संशोधन किया गया । दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता के लिए कतिपय उपबंध करने हेतु संविधान में एक नई अनुसूची (दसवीं अनुसूची) भी जोड़ी गई है ।

संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष द्वारा झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 बनाए गए । ये नियम 2 मार्च, 2007 से लागू हुए ।

इस पुस्तिका में संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, संविधान (इक्यावनवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 द्वारा यथा संशोधित संविधान की दसवीं अनुसूची तथा झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्त्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006 द्वारा यथा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 190 तथा 191 के सुसंगत उपबंध अंतर्विष्ट है ।

राँची :
दिनांक 12-07-2007

राजेन्द्र प्रसाद सिंह,
प्रभारी सचिव ।

द्वितीय संस्करणः 2010 (ई०)
तृतीय संस्करणः 2019 (ई०)
चतुर्थ संस्करणः 2022 (ई०)

झारखण्ड विधान-सभा सचिवालय

1.	श्री सैयद जावेद हैदर	–	प्रभारी सचिव
2.	श्री मधुकर भारद्वाज	–	सयुंक्त सचिव
3.	श्री हरेन्द्र कुमार साह	–	उप सचिव
4.	श्री संजय कुमार	–	अवर सचिव
5.	श्री सुभाष कुमार	–	प्रशाखा पदाधिकारी
6.	श्री अखौरी सूरज कुमार	–	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता

संवैधानिक उपबंध

अनुच्छेद 190 स्थानों का रिक्त होना-

(1) x x x x x x x x x x x x x x x

(2) x x x x x x x x x x x x x x x

(3) यदि राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का सदस्य-

(क) [अनुच्छेद 191 के खण्ड (1) या खण्ड (2)] में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है, या

(ख) x x x x x x x x x x x x x x

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा;

x x x x x x x x x x

(4) x x x x x x x x x x

अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं

(1) x x x x x x x x x x

(2) [कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधान-सभा या विधान परिषद का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।]

---

x x x संगत न होने के कारण मुद्रित नहीं किया गया है ।

1. संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985, धारा-2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

2. उपरोक्त की धारा 3 द्वारा अन्तः स्थापित ।

DISQUALIFICATION ON GROUND OF DEFECTION

CONSTITUTIONAL PROVISIONS

Article 190 Vacation of Seats-

(1) XXX XXXX XXXX XXXX

(2) XXX XXXX XXXX XXXX

(3) If a member of a House of the Legislature of a State-

(a) Becomes Subjects to any of the disqualifications mentioned in [clause (1) or clause (2) of Article 191] : or

(b) XXX XXX XXXX XXXX

His seat shall thereupon become vacant:

XXX XXXX XXXX

(4) XXX XXXX XXXX

Article 191-Disqualifications for membership-

(1) XXX XXX XXXX

(2) [A person shall be disqualified for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of the State if he is so disqualified under the Tenth Schedule.]

XXX has not been printed because it is not compatible. (Relevant)

(1) Substituted by Section-2 of the Constitution (Fifty second Amendment) Act, 1985.

(2) Inserted by Section 3 of the above.

"दसवीं अनुसूची"

[अनुच्छेद 102 (2) और अनुच्छेद 191 (2)]

दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में उपबंध

1. निर्वचन-इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "सदन" से, संसद का कोई सदन या किसी राज्य की, यथास्थिति, विधान-सभा या, विधानमंडल का कोई सदन, अभिप्रेत है;

(ख) सदन के किसी ऐसे सदस्य के संबंध में, जो यथास्थिति, पैरा 2 या [***][1] पैरा 4 के उपबंधों के अनुसार किसी राजनीतिक दल का सदस्य है "विधानमंडल-दल" से, उस सदन के ऐसे सभी सदस्यों का समूह अभिप्रेत है जो उक्त उपबंधों के अनुसार तत्समय उस राजनीतिक दल के सदस्य है;

(ग) सदन के किसी सदस्य के संबंध में, "मूल राजनीतिक दल" से ऐसा राजनीतिक दल अभिप्रेत है जिसका वह पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदस्य है;

(घ) "पैरा" से इस अनुसूची का पैरा अभिप्रेत है ।

2. दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता-(1) [**][2] पैरा 4 और पैरा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, सदन का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें-

(क) उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है; या

(ख) उसने ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्रधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरूद्ध, ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्रधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना, ऐसे सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है ।

स्पष्टीकरण-इस उप पैरा के प्रयोजनों के लिए-

(क) सदन के किसी निर्वाचित सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का, यदि कोई हो, सदस्य है जिसने उसे ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में खड़ा किया था

(ख) सदन के किसी नामनिर्देशित सदस्य के बारे में-

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन की तारीख को किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य है;

---

[1] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा "पैरा 3 या" शब्दों तथा अंक का लोप किया गया (1.1.2004 से) ।

[2] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा "पैरा 3" का लोप किया गया (1.1.2004 से) ।

"TENTH SCHEDULE"

[Articles 102 (2) and 191(2)]

PROVISIONS REGARDING DISQUALIFICATION ON GROUND OF DEFECTION

1. Interpretation-- In this Schedule, unless the context otherwise requires,-

(a) "House" means either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council, as the case may be, either House of the Legislature of a State;

(b) "Legislature party", in relation to a member of a House belonging to any political party in accordance with the provisions of paragraph 2 or [1][***] paragraph 4, means the group consisting of all the members of that House for the time being belonging to that political party in accordance with the said provisions;

(c) "original political party", in relation to a member of a House, means the political party to which he/she belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2;

(d) "paragraph" means a paragraph of this Schedule.

2. Disqualification on ground of defection-- (1) Subject to the provisions of [2][paragraphs 4 and 5], a member of the House belonging to any political party shall be disqualified for being a member of the House-

(a) if he has voluntarily given up his membership of such political party; or

(b) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs or by any person or authority authorized by it in this behalf, without obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority, and such voting or abstention has not been condoned by such political party, person or authority within fifteen days from the date of such voting or abstention.

Explanation- For the purposes of this sub-paragraph,-

(a) an elected member of a House shall be deemed to belong to the political party, if any, by which he was set up as a candidate for election as such member;

(b) a nominated member of a House shall,-

(i) where he is a member of any political party on the date of his nomination as such member, be deemed to belong to such political party;

---

1. Word and figure "para 3 or" Omitted by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, S.5 (w.e.f. 1-1-2004).
2. Word and figure "para 3" Omitted by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, S.5 (w.e.f. 1-1-2004).

(ii) किसी अन्य दशा में, यह समझा जाएगा कि वह उस राजनीतिक दल का सदस्य है जिसका, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पूर्व वह, यथास्थिति, सदस्य बनता है या पहली बार बनता है ।

(2) सदन का कोई निर्वाचित सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है ।

(3) सदन का कोई, नामनिर्देशित सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह, यथास्थिति, अनुच्छेद 99 या अनुच्छेद 188 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के पश्चात् किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है ।

(4) इस पैरा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो, संविधान (बावनवां संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ पर, सदन का सदस्य है (चाहे वह निर्वाचित सदस्य हो या नामनिर्देशित)-

(i) उस दशा में, जिसमें वह ऐसे प्रारम्भ से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल का सदस्य था वहां, इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए अभ्यर्थी के रूप में ऐसे सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है;

(ii) किसी अन्य दशा में, यथास्थिति, इस पैरा के उप-पैरा (2) के प्रयोजनों के लिए, यह समझा जाएगा कि वह सदन का ऐसा निर्वाचित सदस्य है जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ है या, इस पैरा के उप-पैरा (3) के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि वह सदन का नामनिर्देशित सदस्य है ।

3. [* * * *][3]

4. दल-परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का विलय की दशा में लागू न होना- (1) सदन का कोई सदस्य पैरा 2 के उप-पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होगा यदि उसके मूल राजनीतिक दल का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय हो जाता है और वह यह दावा करता है कि वह और उसके मूल राजनीतिक दल के अन्य सदस्य-

(क) यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल के या ऐसे विलय से बने नए राजनीतिक दल के सदस्य बन गए हैं; या

---

[3] संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 5 द्वारा "दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता का दल विभाजन की दशा में लागू न होना" के बारे में पैरा 3 का लोप किया गया (1.1.2004 से) ।

(ii) in any other case, be deemed to belong to the political party of which he becomes, or, as the case may be, first becomes, a member before the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or article 188, as the case may be,

(2) An elected member of a House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after such election.

(3) A nominated member of a House shall be disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat after complying with the requirements of article 99 or article 188, as the case may be,

(4) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this paragraph, a person who, on the commencement of the Constitution (Fifty-second Amendment) Act, 1985, is a member of a House (whether elected or nominated as such) shall,-

(i) where he was a member of a political party immediately before such commencement, be deemed, for the purpose of sub-paragraph (1) of this paragraph to have been elected as a member of such House as a candidate set up by such political party;

(ii) in any other case, be deemed to be an elected member of the House who has been elected as such otherwise than as a candidate set up by any political party for the purposes of sub-paragraph (2) of this paragraph or, as the case may be, deemed to be a nominated member of the House for the purposes of sub-paragraph (3) of this paragraph.

3.[****][3]

4. Disqualification on ground of defection not to apply in case of merger-

(1) A member of a House shall not be disqualified under sub-paragraph (1) of paragraph 2 where his original political party merges with another political party and he claims that he and any other members of his original political party-

(a) have become members of such other political party or, as the case may be, of a new political party formed by such merger; or

---

3 Paragraph 3 omitted by the Constitution (Ninety-first Amendment) Act, 2003, S.5 (w.e.f. 1-1-2004).

(ख) उन्होंने विलय स्वीकार नहीं किया है और एक पृथक् समूह के रूप में कार्य करने का विनिश्चय किया है, और ऐसे विलय के समय से, यथास्थिति, ऐसे अन्य राजनीतिक दल या नए राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह समझा जाएगा कि वह, पैरा 2 के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए ऐसा राजनीतिक दल है जिसका वह सदस्य है और वह इस उप-पैरा के प्रयोजनों के लिए उसका मूल राजनीतिक दल है ।

(2) इस पैरा के उप-पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए सदन के किसी सदस्य के मूल राजनीतिक दल का विलय हुआ तभी समझा जाएगा जब संबंधित विधान-दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो गये है ।

5. छूट-इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो लोक सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान परिषद् के सभापति या उप सभापति अथवा किसी राज्य की विधान-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ है, इस अनुसूची के अधीन निर्हित नही होगा,-

(क) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है और उसके पश्चात् जब तक वह पद धारण किए रहता है तब तक, उस राजनीतिक दल में पुन: सम्मिलित नही होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नही बनता है; या

(ख) यदि वह, ऐसे पद पर अपने निर्वाचन के कारण, ऐसे राजनीतिक दल की जिसका वह ऐसे निर्वाचन से ठीक पहले सदस्य था, अपनी सदस्यता छोड देता है और ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात् ऐसे राजनीतिक दल में पुन: सम्मिलित हो जाता है ।

6. **दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रश्नों का विनिश्चय**-(1) यदि यह प्रश्न उठता है कि सदन का कोई सदस्य इस अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न, ऐसे सदन की, यथास्थिति, सभापति या अध्यक्ष के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा;

परन्तु जहाँ यह प्रश्न उठता है कि सदन का सभापति या अध्यक्ष निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नही वहाँ यह प्रश्न सदन के ऐसे सदस्य के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसे वह सदन इस निमित निर्वाचित करे और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता के बारे में किसी प्रश्न के संबंध में इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन सभी कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे, यथास्थिति, अनुच्छेद 122 के अर्थ में संसद की कार्यवाहियां है या अनुच्छेद 212 के अर्थ में राज्य के विधानमंडल की कार्यवाहियां है ।

(b) have not accepted the merger and opted to function as a separate group,and from the time of such merger, such other political party or new political party or group, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purposes of sub-paragraph (1) of paragraph 2 and to be his original political party for the purposes of this sub-paragraph.

(2) For the purposes of sub-paragraph(1) of this paragraph, the merger of the original political party of a member of a House shall be deemed to have taken place, if, and only if, not less than two-thirds of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger.

5. **Exemption**- Notwithstanding anything contained in this Schedule, a person who has been elected to the office of the Speaker or the Deputy Speaker of the House of the People or the Deputy Chairman of the Council of States or the Chairman or the Deputy Chairman of the Legislative Council of a State or the Speaker or the Deputy Speaker of the Legislative Assembly of a State, shall not be disqualified under this Schedule-

(a) if he, by reason of his election to such office, voluntarily gives up the membership of the political party to which he belonged immediately before such election and does not, so long as he continues to hold such office thereafter, rejoin that political party or become a member of another political party; or

(b) if he, having given up by reason of his election to such office his membership of the political party to which he belonged immediately before such election, rejoins such political party after he ceases to hold such office.

6. Decision on questions as to disqualification on ground of defection-

(1) If any question arises as to whether a member of a House has become subject to disqualification under this Schedule, the question shall be referred for the decision of the Chairman or, as the case may be, the Speaker of such House and his decision shall be final :

Provided that where the question which has arisen is as to whether the Chairman or the Speaker of a House has become subject to such disqualification, the question shall be referred for the decision of such member of the House whom the House may elect in this behalf and his/her decision shall be final.

(2) All proceedings under sub-paragraph (1) of this paragraph in relation to any question as to disqualification of a member of a House under this Schedule shall be deemed to be proceedings in Parliament within the meaning of article 122 or, as the case may be, proceedings in the Legislature of a State within the meaning of article 212.

*7. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन-इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय को इस अनुसूची के अधीन सदन के किसी सदस्य की निरर्हता से संबंधित किसी विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

8. नियम-(1) इस पैरा के उप-पैरा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सदन का सभापति या अध्यक्ष, इस अनुसूची के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा तथा विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-

(क) सदन के विभिन्न सदस्य जिन राजनीतिक दलों के सदस्य हैं, उनके बारे में रजिस्टर या अन्य अभिलेख रखना;

(ख) ऐसा प्रतिवेदन जो सदन के किसी सदस्य के संबंध में विधान मंडल-दल का नेता, उस सदस्य की बावत पैरा 2 के उप-पैरा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की माफी के संबंध में देगा, वह समय जिसके भीतर और वह प्राधिकारी जिसको ऐसा प्रतिवेदन दिया जाएगा;

(ग) ऐसे प्रतिवेदन जिन्हें कोई राजनीतिक दल सदन के किसी सदस्य को ऐसे राजनीतिक दल में प्रविष्ट करने के संबंध में देगा और सदन का ऐसा अधिकारी जिसको ऐसे प्रतिवेदन दिए जाएंगे; और

(घ) पैरा 6 के उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न का विनिश्चय करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसी जांच की प्रक्रिया है, जो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करने के प्रयोजन के लिए की जाए ।

(2) सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा इस पैरा के उप-पैरा (1) के अधीन बनाए गए नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, सदन के समक्ष कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखे जाएंगे । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । वे नियम तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होंगे जब तक कि उनका सदन द्वारा परिवर्तनों सहित या उनके बिना पहले ही अनुमोदन या अननुमोदन नहीं कर दिया जाता है, वे नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिए जाते है तो वे, यथास्थिति, ऐसे रूप में जिसमें वे रखे गए थे या ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होंगे । यदि नियम इस प्रकार अनुमोदित कर दिये जाते हैं तो वे निष्प्रभाव हो जाएंगे ।

(3) सदन का सभापति या अध्यक्ष, यथास्थिति, अनुच्छेद 105 या अनुच्छेद 194 के उपबंधों पर और किसी ऐसी अन्य शक्ति पर जो उसे इस संविधान के अधीन प्राप्त है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन बनाए गए नियमों के किसी व्यक्ति द्वारा जानबुझकर किए गए किसी उल्लंघन के बारे में उसी रीति से कार्यवाही की जाए जिस रीति से सदन के विशेषाधिकार के भंग के बारे में की जाती है ।

---

* उच्चतम न्यायालय ने किहोटा होलोहन बनाम जायचिल्हु तथा अन्य के मामले में अपने बहुमत निर्णय में इस पैरे को राज्य विधानमंडलों द्वारा इसकी अभिपुष्टि न किए जाने के आधार पर संविधान के अधिकारातीत ठहराया था । (ए०आई०आर० 1993, उ०न्या० 412) । तथापि, यह उपबंध अभी भी दसवीं अनुसूची का अंग बना हुआ है क्योंकि दसवी अनुसूची से इसका लोप करने के लिए सरकार अभी तक कोई संविधान संशोधन विधेयक लेकर नही आई है ।

* **7. Bar of jurisdiction of courts**-Notwithstanding anything in this Constitution, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of a member of a House under this Schedule.

8. Rules- (1) Subject to the provisions of sub-paragraph(2) of this paragraph, the Chairman or the Speaker of a House may make rules for giving effect to the provisions of this Schedule, and in particular, and without prejudice to the generality of the foregoing, such rules may provide for-

(a) the maintenance of registers or other records as to the political parties, to which different members of the House belong;

(b) the report which the leader of a legislature party in relation to a member of a House shall furnish with regard to any condonation of the nature referred to in clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 2 in respect of such member, the time within which and the authority to whom such report shall be furnished;

(c) the reports which a political party shall furnish with regard to admission to such political party of any members of the House and the officer of the House to whom such reports shall be furnished; and

(d) the procedure for deciding any question referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 6 including the procedure for any inquiry which may be made for the purpose of deciding such question.

(2) The rules made by the Chairman or the Speaker of a House under sub-paragraph (1) of this paragraph shall be laid as soon as may be after they are made before the House for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and shall take effect upon the expiry of the said period of thirty days unless they are sooner approved with or without modifications or disapproved by the House and where they are so approved, they shall take effect on such approval in the form in which they were laid or in such modified form, as the case may be, and where they are so disapproved, they shall be of no effect.

(3) The Chairman or the Speaker of a House may, without prejudice to the provisions of article 105 or, as the case may be, article 194, and to any other power which he may have under this Constitution direct that any willful contravention by any person of the rules made under this paragraph may be dealt within the same manner as a breach of privilege of the House.

---

* Paragraph 7 declared invalid for want of ratification in accordance with the proviso to clause (2) of article 368 as per majority opinion in *Kihoto Hollohon v. zachilhu and others* (1992) 1 S.C.C. 309.

झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियम, 2006

झारखण्ड विधान-सभा के अध्यक्ष भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा-8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्--

1. **संक्षिप्त नाम**--इन नियमों का संक्षिप्त नाम झारखण्ड विधान-सभा सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता नियम, 2006 है ।

2. **परिभाषाएँ**--इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

(क) "पत्रक" से झारखण्ड विधान-सभा पत्रक अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) इन नियमों के संबंध में "प्रारंभ की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिस तारीख को ये नियम दसवीं अनुसूची के पैरा-8 के उप-पैरा (2) के अधीन प्रभावी होंगे;

(घ) "सदन" से झारखण्ड विधान-सभा अभिप्रेत है;

(ङ.) किसी विधायक-दल के संबंध में "नेता" से उस दल का ऐसा सदस्य अभिप्रेत है जिसे उस दल ने अपना नेता चुना है और इसके अन्तर्गत उस दल का कोई ऐसा अन्य सदस्य भी है जो उसकी अनुपस्थिति में इन नियमों के प्रयोजनार्थ उस दल के नेता के रूप में कार्य करने के लिए उस दल द्वारा प्राधिकृत किया गया है;

(च) "सदस्य" से झारखण्ड विधान-सभा का सदस्य अभिप्रेत है;

(छ) "सचिव" से झारखण्ड विधान-सभा का सचिव अभिप्रेत है, और उसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो सचिव के कर्तव्यों का तत्समय निर्वहन कर रहा है ।

3. **विधायक-दल के नेता द्वारा जानकारी का दिया जाना**--

(1) प्रत्येक विधायक दल के नेता (ऐसे विधायक दल से भिन्न जिसमें केवल एक सदस्य हो) सभा की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहाँ ऐसे विधायक दल का गठन ऐसी तारीख के बाद किया गया है, वहाँ उसके गठन की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेगा, अर्थात्--

(क) एक विवरण (लिखित रूप में) जिसमें ऐसे विधायक दल के सदस्यों के नाम और उसके साथ ऐसे सदस्यों से संबंधित अन्य विवरण होंगे जैसे कि प्ररूप-1 में है और ऐसे दल के उन सदस्यों के नाम और पदनाम होंगे, जिन्हें उस दल के इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष से पत्र व्यवहार करने के लिए प्राधिकृत किया है;

(ख) संबंधित राजनीतिक दल के नियमों और विनियमों की एक प्रति (चाहे उन्हें इस नाम से या संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो), और

THE MEMBERS OF JHARKHAND VIDHAN SABHA (DISQUALIFICATION ON GROUND OF DEFECTION) RULES-2006

In exercise of the powers conferred by paragraph 8 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, The Speaker, Jharkhand Legislative Assembly, hereby makes the following Rules, namely:-

1)- Short tile :

These Rules may be called the Members of Jharkhand Legislative Assembly (Disqualification on ground of Defection) Rules, 2006.

2)- Definitions: In these Rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Bulletin" means the Bulletin of the Jharkhand Legislative Assembly;

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "Date of commencement", in relation to these rules, means the date on which these rules take effect under sub-paragraph(2) of paragraph 8 of the tenth schedule;

(d) "House" means the Jharkhand Legislative Assembly;

(e) "Leader", in relation to a Legislature Party, means a member of the Party chosen by it as its leader and includes any other member of the Party authorized by the Party to act, in the absence of the leader as, or discharge the functions of the leader of Party for the purposes of these Rules;

(f) "Member" means a member of Jharkhand Legislative Assembly.

(g) "Secretary" means the Secretary of Jharkhand Legislative Assembly and includes any person for the time being performing the duties of the Secretary.

3. Information to be furnished by leader of a Legislature party -

(1) the leader of each legislature party (other than a legislature party consisting of only one member) shall, within thirty days after the first sitting of the house, or where such legislature party is formed after the first sitting, within thirty days after its formation, or, in either case within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish the following documents to the Speaker, namely:-

(a) a statement (in writing) containing the names of members of such legislature party together with other particulars regarding such members as in Form-I and the names and designations of the members of such party who have been authorized by it for communicating with the Speaker for purposes of these rules;

(b) a copy of the rules and regulations (whether known as such or as constitution or by any other name) of the political party concerned; and

(ग) जहाँ ऐसे विधायक दल के कोई पृथक नियम और विनियम है (चाहे उन्हें इस नाम से अथवा संविधान या किसी अन्य नाम से जाना जाता हो), वहाँ ऐसे नियमों और विनियमों की एक प्रति ।

(2) जहाँ किसी विधायक दल में केवल एक सदस्य है वहाँ ऐसा सदस्य सदन की पहली बैठक की तारीख से तीस दिन के भीतर या जहाँ वह ऐसी तारीख के बाद सदन का सदस्य बना है वहाँ सदन में अपना स्थान ग्रहण करने की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा प्रत्येक स्थिति में ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को उप नियम-(1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित नियमों और विनियमों की एक प्रति भेजेगा ।

(3) ऐसे किसी विधायक दल की संख्या में, जिसमें केवल एक सदस्य है, वृद्धि होने पर, उप नियम (1) के उपबंध ऐसे विधायक दल के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, मानों वह विधायक दल उस तारीख को बनाया गया है, जिस तारीख को उसकी संख्या में वृद्धि हुई है ।

(4) जब कभी किसी विधायक दल के नेता द्वारा उप नियम-(1) के अन्तर्गत या किसी सदस्य द्वारा उप नियम-(2) के अन्तर्गत दी गई सूचना में कोई परिवर्तन होता है तो उसके पश्चात् 30 दिन के भीतर अथवा ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन की लिखित सूचना दिया जायेगा ।

(5) इन नियमों के प्रवर्तन की तारीख को विद्यमान सदन की दशा में उप नियम-(1) और उप नियम-(2) में सदन की पहली बैठक की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह इन नियमों के आरंभ की तारीख के प्रति निर्देश है ।

(6) जहाँ किसी राजनीतिक दल का कोई सदस्य, ऐसे राजनीतिक दल द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्देश के विरूद्ध ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना सदन में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है, तो संबंधित विधायक दल का नेता या जहाँ सदस्य ऐसे विधायक दल का, यथास्थिति, नेता या एक मात्र सदस्य है तो ऐसा सदस्य, ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के पन्द्रह दिन के भीतर प्ररूप-2 के अनुसार अध्यक्ष को यह संसूचित करेगा कि ऐसा मतदान करने या मतदान से विरत रहने के लिए ऐसे राजनीतिक दल, व्यक्ति या प्राधिकारी ने माफ किया है या नहीं ।

स्पष्टीकरण-- किसी सदस्य का मतदान से विरत रहना तभी माना जायेगा जब वह मतदान करने के लिए अधिकृत किये जाने पर स्वेच्छा से मतदान से विरत रहेगा ।

4. सदस्यों द्वारा सूचना आदि दिया जाना--

(1) ऐसा प्रत्येक सदस्य जिसने इन नियमों के आरंभ होने की तारीख से पूर्व सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, ऐसी तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी आगे की अवधि के भीतर जिसकी अनुमति अध्यक्ष पर्याप्त कारण से दे प्ररूप-3 में विशिष्टयों का एक विवरण और घोषणा सचिव को भेजेगा ।

(c) Where such legislature party has any separate set of rules and regulations (whether known as such or as constitution or by any other name), also a copy of such rules and regulations.

(2) Where a legislature party consists of only one member, such member shall furnish a copy of rules and regulations mentioned in clause (b) of the sub rules (1) to the Speaker, within thirty days after the first sitting of the House or, where he has become a Member of the House after the first sitting, within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow.

(3) In the event of any increase in the strength of a legislature party consisting of only one member, the provisions of sub-rule(1) shall apply in relation to such legislature party as if such legislature party had been formed on the first date on which its strength increases.

(4) Whenever any change takes place in the information furnished by the leader of a legislature party under sub-rule (1) or by a member under sub-rule (2), he shall within thirty days thereafter, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, furnish in writing information to the Speaker with respect to such change.

(5) In the case of the House in existence on the date of commencement of these rules, the reference in sub-rule (1) and (2) to the date of the first sitting of the House shall be construed as a reference to the date of commencement of these rules.

(6) Where a member belonging to any political party votes or abstains form voting in the House contrary to any direction issued by such political party or by any person or authority authorized by it in this behalf, without, obtaining, in either case, the prior permission of such political party, person or authority, the leader of the legislature party concerned or where such member is the leader or as the case may be the sole member of such legislature party, such member shall, as soon as may be after the expiry of fifteen days from the date of such voting or abstention, and in any case within thirty days from the date of such voting or abstention, inform the Speaker as in Form II whether such voting or abstention has or has not been condoned by such political party, person or authority.

Explanation :- A member may be regarded as having abstained from voting only when he, being entitled to vote, voluntarily refrained from voting.

4. **Information etc., to be furnished by members,--** (1) Every member who has taken his seat in the House before the date of commencement of these rules shall furnish to the Secretary, within thirty days from such date or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, a statement of particulars and declaration as in Form III.

(2) प्रत्येक सदस्य, जो इन नियमों के आरंभ के पश्चात् सदन में अपना स्थान ग्रहण करता है, संविधान के अनुच्छेद-188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने और सदन में अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व सचिव के पास यथास्थिति, अपना निर्वाचन प्रमाण-पत्र या उसे सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रमाणित प्रति जमा करायेगा और प्ररूप-3 में विशिष्टियों का एक विवरण और घोषणा सचिव को देगा ।

स्पष्टीकरण-- इस उप नियम के प्रयोजन के लिए "निर्वाचन प्रमाण-पत्र" से लोक प्रतिनिधित्व, 1951, (1951 का 43) तथा उसके अधीन बनाये गये नियम के अधीन जारी किया गया निर्वाचन प्रमाण-पत्र है ।

(3) इस नियम के अधीन सदस्य जो जानकारी देंगे उसका संक्षेप पत्रक में प्रकाशित किया जाएगा और यदि अध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में उसमें कोई विसंगति बताई जाती है तो पत्रक में आवश्यक शुद्धि-पत्र प्रकाशित किया जायेगा ।

5. सदस्यों के बारे में जानकारी का रजिस्टर--

(1) सचिव, प्ररूप-4 में एक रजिस्टर रखेगा जो सदस्यों के संबंध में नियम-3 और नियम-4 के अधीन जानकारी पर आधारित होगा, यह रजिस्टर उस प्रकार तैयार किया जाएगा, जैसा अध्यक्ष आदेश दें ।

(2) प्रत्येक सदस्य के संबंध में जानकारी, रजिस्टर में पृथक पृष्ठ पर अभिलेखित की जायेगी ।

6. निर्देश का अर्जी द्वारा किया जाना--

(1) कोई सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, या नहीं इस प्रश्न का निर्देश उस सदस्य के संबंध में इस नियम के उपबंधों के अनुसार [1][कोई व्यक्ति द्वारा] दी गई अर्जी द्वारा किया जायेगा । [2][अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo moto) के आधार पर भी किया जा सकेगा ।]

(2) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी किसी अन्य सदस्य द्वारा अध्यक्ष को लिखित रूप में दी जा सकेगी । परन्तु अध्यक्ष के संबंध में कोई अर्जी सचिव को संबोधित की जायेगी ।

(3) सचिव--

(क) उप नियम-2 के परन्तुक के अधीन दी गई अर्जी की प्राप्ति के पश्चात् यथाशीघ्र, उसके बारे में सदन को एक रिपोर्ट देगा, और

(ख) दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के उप पैरा (1) के परन्तुक के अनुसरण में सदन द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचित किये जाने के पश्चात् अर्जी को यथाशीघ्र उस सदस्य के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

(4) किसी सदस्य के संबंध में कोई अर्जी देने से पूर्व, अर्जीदार अपना यह समाधान करेगा कि यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार है कि यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं ।

---

1. सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या-616, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा शब्द "काई व्यक्ति द्वारा" अंतःस्थापित ।

2. सभा सचिवालय के अधिसूचना संख्या- 616, दिनांक 25 मार्च, 2022 द्वारा वाक्यांश "अथवा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान (Suo moto) के आधार पर भी किया जा सकेगा ।" लोप कर दिया गया ।

(2) Every member who takes his seat in the House after the commencement of these rules shall, before making and subscribing an oath or affirmation under Article 188 of the Constitution and taking his seat in the House, deposit with the Secretary, his election certificate or, as the case may be, certified copy of notification nominating him as a member and also furnish to the Secretary a statement of particulars and declaration as in Form III.

Explanation :- For the purposes of this sub-rule, "Election Certificate" means the certificate of election issued under the Representation of the people, Act, 1951 (43 of 1951) and the rules made there under:

(3) A summary of the information furnished by the members under this rule shall be published in the Bulletin and if any discrepancy therein is pointed out to the satisfaction of the Speaker, necessary corrigendum shall be published in the Bulletin.

(5) Register of information as to members:- (1) The Secretary shall maintain, as in Form-IV, a register based on the information furnished under rules 3 and 4 in relation to the members.

(2) The information in respect of each member shall be recorded on a separate page in the Register.

6. Reference to be by petitions :-

(1) The question of whether a member has become subject to a disqualification under the 10^{th} schedule shall be referred in relation to that member by a petition made by [1][anyone] in accordance with the provision of this rule. [2][or may also be done by the Speaker on suo moto basis].

(2) A petition in relation to a member may be made in writing to the Speaker by any other member:

Provided that a petition in relation to the Speaker shall be addressed to the Secretary.

(3) The Secretary shall-

(a) as soon as may be after the receipt of a petition under proviso to sub-rule (2) make a report in respect there of to the House; and

(b) as soon as may be after the House has elected a member in pursuance of the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule place the petition before such member.

(4) Before making any petition in relation to any member, the petitioner shall satisfy himself that there are reasonable grounds for believing that a question has arisen as to whether such member has become subject to disqualification under the Tenth Schedule.

---

1. By Notification no. 616, dated-25.03.2022 the Secretariat of the House inserted by anyone.

2. By Notification no.616 of the Assembly Secretariat, dated-25.03.2022 the phrase **"or may also be done on the basis of suo moto by the Speaker"** omitted.

(5) प्रत्येक अर्जी--

(क) में उन तात्विक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होगा, जिन पर अर्जीदार निर्भर करता है, और

(ख) के साथ ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य की, यदि कोई हो, प्रतियाँ संलग्न होंगे जिस पर अर्जीदार निर्भर करता है और जहाँ अर्जीदार किसी व्यक्ति द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी पर निर्भर करता है, वहाँ उन व्यक्तियों के नाम और पते सहित विवरण और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दी गई ऐसी जानकारी का सारांश संलग्न होगा ।

(6) प्रत्येक अर्जी पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित रीति से सत्यापित किया जाएगा ।

(7) अर्जी के प्रत्येक उपबंध पर अर्जीदार के हस्ताक्षर होंगे और उसे अर्जी के समान रीति से ही सत्यापित किया जायेगा ।

7. प्रक्रिया--

(1) नियम-6 के अधीन अर्जी प्राप्त होने पर अध्यक्ष इस बात पर विचार करेगा कि क्या अर्जी उक्त नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है ।

(2) यदि अर्जी नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती है, तो अध्यक्ष अर्जी को रद्द करेगा और अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा ।

(3) यदि अर्जी नियम-6 की अपेक्षाओं का अनुपालन करती है, तो अध्यक्ष अर्जी और उसके उपबंधों की प्रतियाँ--

(क) उस सदस्य को भिजवायेगा, जिसके संबंध में अर्जी दी गई, और

(ख) जहाँ ऐसा सदस्य किसी विधायक दल का है और ऐसी अर्जी उस दल के नेता ने नहीं दी है, वहाँ ऐसे नेता को भी भिजवायेगा,

और ऐसा सदस्य या नेता, ऐसी प्रतियों की प्राप्ति से सात दिन के भीतर या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जिसकी अध्यक्ष पर्याप्त हेतुक के आधार पर अनुज्ञा दे, उस पर अपनी लिखित टिप्पणियाँ अध्यक्ष को भेजेगा ।

(4) अर्जी के संबंध में अनुज्ञात अवधि (चाहे मूलतः या उक्त उप नियम के अधीन विस्तारित) के भीतर, उप नियम-(3) के अधीन प्राप्त टिप्पणियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् अध्यक्ष प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा ।

(5) अध्यक्ष, उप नियम-(4) के अधीन अर्जी प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र अर्जीदार को तदनुसार संसूचित करेगा और ऐसे निर्देश के संबंध में सदन में घोषणा करेगा, यदि सदन का सत्र उस समय नही चल रहा है तो उस निर्देश की सूचना पत्रक में प्रकाशित कराएगा ।

(6) अध्यक्ष, यथाशीघ्र प्रश्न का अवधारण सम्पूर्ण कार्यवाही का पालन करते हुए करेगा ।

(7) अध्यक्ष उप नियम-4 के अधीन किसी प्रश्न के अवधारण के लिए सर्वप्रथम प्रश्न का निरीक्षण करेगा और मामले के समस्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए निर्धारित करेगा कि उससे निरर्हता का विषय बनता है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष इस निष्कर्ष पर कि वह सदस्य दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है, तभी पहुंचेगा जबकि उस सदस्य को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का और व्यक्तिगत रूप से और यदि वह चाहता है तो उसकी इच्छनुसार परामर्शी की सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है ।

(5) Every petition;-

(a) shall contain a concise statement of the material facts on which the petition relies, and

(b) shall be accompanied by copies of the documentary evidence, if any, on which the petitioner relies and where the petitioner relies on any information furnished to him by any person, a statement containing the names and addressed of such persons and the gist of such information as furnished by each such person.

(6) Every petition shall be signed by the petitioner and verified in the manner laid down in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), for the verification of pleading.

(7) Every Annexure to the petition shall also be signed by the petitioner and verified in the same manner as the petition.

7. **Procedure-** (1) On receipt of a petition under rule 6, the Speaker shall consider whether the petition complies with the requirements of that rule.

(2) If the petition does not comply with the requirements of rule 6, the Speaker shall dismiss the petition and intimate the petitioner accordingly.

(3) If the petition complies with the requirements of rule 6, the Speaker shall cause copies of the petition and the annexures thereto to be forwarded,-

(a) to the member in relation to whom the petition has been made; and

(b) where such member belongs to any legislature party and such petition has not been made by the leader thereof, also to such leader, and such member or leader shall, within seven days of the receipt of such copies, or within such further period as the Speaker may for sufficient cause allow, forward his comments in writing thereon to the Speaker.

(4) After considering the comments, if any, in relation to the petition, received under sub-rule (3) within the period allowed (whether originally or on extension under the sub-rule), the Speaker shall proceed to determine the question.

(5) The Speaker shall, as soon as may be intimate the petitioner accordingly and make an announcements with respect to reference in the House or, if the House is not then in session cause the information as to the reference to be published in the Bulletin.

(6) The Speaker shall proceed to determine the question as soon as following all the procedure.

(7) The Speaker for proceeding to determine a question under sub-rule 4 shall first examine the question and taking in view all the facts shall decide that matter is made out for disqualification or not. The Speaker shall come to the conclusion that the member has incurred disqualification under the tenth schedule of the constitution only when that member has been given sufficient opportunity to present his case either in person or if he desires through his advocate.

(8) उप नियम (1) से (7) तक के उपबंध अध्यक्ष के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे किसी अन्य सदस्य के संबंध में दी गई अर्जी के बारे में लागू होते है, तथा इस प्रयोजनार्थ, इन उप नियमों में अध्यक्ष के प्रति निर्देश का अर्थ दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के उप पैरा-(1) के परन्तुक के अन्तर्गत सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य के प्रति निर्देश सहित लगाया जाएगा ।

8. अर्जी का विनिश्चय--

(1) अर्जी पर विचार पूरा होने के पश्चात् यथास्थिति, अध्यक्ष या दसवीं अनुसूची के पैरा-6 के उप पैरा-(1) के परन्तुक के अधीन निर्वाचित सदस्य, लिखित आदेश द्वारा--

(क) अर्जी को खारिज करेगा, या

(ख) यह घोषणा करेगा कि वह सदस्य जिसके संबंध में अर्जी दी गई है, दसवी अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त हो गया है,

और उस आदेश की प्रतियाँ अर्जीदार को उस सदस्य को, जिसके संबंध में अर्जी दी गई है और संबंधित विधायक दल के नेता को यदि कोई हो परिदत्त या अग्रेषित करवाएगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक विनिश्चय, जिसमें किसी सदस्य को दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्हता से ग्रस्त घोषित किया गया है सदन को, यदि वह सत्र में है, तुरन्त प्रतिवेदित किया जायेगा और यदि सदन सत्र में नहीं है तो सदन के पुनः समवेत होने के तुरन्त पश्चात् प्रतिवेदित किया जायेगा ।

(3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक विनिश्चय पत्रक में प्रकाशित किया जायगा और राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा तथा सचिव उस विनिश्चय की प्रतियाँ भारत के निर्वाचन आयोग को और झारखण्ड सरकार को अग्रेषित करेगा ।

9. इन नियमों के विस्तृत कार्यकरण के संबंध में निदेश--

अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो इन नियम के विस्तृत कार्यकरण के बारे में आवश्यक समझे ।

(8) The provisions of sub-rules (1) to (7) shall apply with respect to a petition in relation to the Speaker as they apply with respect to a petition in relation to any other member and for this purpose, reference to the Speaker in these sub-rules shall be construed as including references to the member elected by the House under the proviso to the sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule.

(8) **Decision on petitions-** (1) At the conclusion of the consideration of the petition, the Speaker or, as the case may be, the member elected under the proviso to sub-paragraph (1) of paragraph 6 of the Tenth Schedule shall by order in writing-

(a) dismiss the petition, or

(b) declare that the member in relation to whom the petition has been made has become subject to disqualification under the Tenth Schedule, and cause copies of the order to be delivered or forwarded to the petitioner, the member in relation to whom the petition has been made and to the leader of the legislature party, if any, concerned.

(2) Every decision declaring a member to have become subject to disqualification under the Tenth Schedule shall be reported to the House forthwith if the House is in session, and if the House is not in session, immediately after the House reassembles.

(3) Every decision referred to in sub-rule (1) shall be published in the Bulletin and notified in the Official Gazette and copies of such decision forwarded by the Secretary to the Election Commission of India and the Jharkhand Government.

(9) **Directions as to detail working of these rules--** The Speaker may, from time to time, issue such directions as he may consider necessary in regard to the detailed working of these rules.

प्रारूप—1

विधायक दल का नाम.................................तत्स्थानी राजनीतिक दल का नाम......................

क्रम सं०	सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित है
1	2	3	4	5

तारीख..............................

....

विधायक दल के नेता का हस्ताक्षर

FORM I

Name of the legislature party:

Name of the corresponding political party:

Sl. No.	Name of the Member (in block letters)	Father's/Husband's Name	Permanent Address	Name of the Constituency from which elected
1	2	3	4	5

Date:

Signature of the leader of the legislature Party

प्ररूप--2

सेवा में,

अध्यक्ष,

झारखण्ड विधान-सभा ।

महोदय,

सदन की........................ (तारीख) को हुई बैठक में.............................. विषय पर हुए मतदान में ।

श्री... सदस्य विधान-सभा ने जिनकी (विभाजन संख्या..................) है और जो.................. (राजनीतिक दल का नाम) के सदस्य तथा जो.................. (विधायक दल का नाम) के हैं ।	मैंने/मैं अर्थात्... (सदस्य का नाम) सदस्य विधान-सभा (विभाजन संख्या........................) (राजनीतिक दल का नाम) का सदस्य और.................. .... (विधायक दल का नाम) का नेता/एकमात्र सदस्य ।

....(व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा दिये गये निदेशों के विरुद्ध (उक्त व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना मतदान किया है/मतदान करने से विरत रहा है/रहा हूँ ।

2. ....(तारीख) को पूर्वोक्त मामले पर............................... (व्यक्ति/प्राधिकारी/दल) द्वारा विचार किया गया और उक्त मतदान करने/मतदान करने से विरत रहने को, उसके द्वारा माफ किया गया/माफ नहीं किया गया ।

तारीख...............................

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

FORM II

To

The Speaker,

Jharkhand Legislative Assembly.

Sir,

At the sitting of the House held on ....(date) during voting on ....(subject-matter)

Shri....................................MLA (Division No..............................), member of .... (name of political party), and member of .... (name of legislature party) had voted/ abstained from voting.	I...................................(name of the member), MLA (Division No. ....), member of ....(name of political party), and leader of/sole member of ....(name of legislature party) voted/abstained from voting.

contrary to the direction issued by .... (person/authority/party) without obtaining the prior permission of the said person/authority/party.

2. On (date)..the aforesaid matter was considered by..(person/authority/party) and the said voting/abstention was condoned/ was not condoned by him/it.

Your faithfully,

Date:........................ *(Signature)*

प्ररूप—3

1. सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) :

2. पिता/पति का नाम :

3. स्थायी पता :

4. राँची का पता :

5. निर्वाचन/नाम -निर्देशन की तारीख :

6. जिस दल से संबद्ध है/है-

(1) निर्वाचन/नाम-निर्देशन की तारीख को..

(2) झारखण्ड विधान-सभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की तिथि को.................
....

(3) इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने की तारीख को..

घोषणा

मैं..यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सत्य और सही है ।

ऊपर दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन होने पर, मैं अध्यक्ष महोदय को तत्काल सूचित करने का वचन देता/देती हूँ ।

तारीख......................................

सदस्य के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

FORM III

1. Name of the member (in block letters) :
2. Father's/Husband's name :
3. Permanent Address :
4. Address :
5. Date of election/nomination :
6. Party affiliation as on-
   - *(i) date of election/nomination* :
   - *(ii) on which date elected as a Member of Jharkhand Legislative Assembly* :
   - *(iii) date of signing this form* :

DECLARATION

I...hereby declare that the information given above is true and correct.

In the event of any change in the information above, I undertake to inform the Speaker immediately.

Date: *Signature/thumb impression of Member*

प्ररूप—4

[देखिये नियम 5(1)]

सदस्य का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	राँची का पता	निर्वाचन/नाम निर्देशन की तारीख	जिससे वह संबद्ध है उस राजनीतिक दल का नाम	जिससे वह संबद्ध है उस विधायक दल का नाम	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची ।

FORM--4

[See Rule 5(1)]

Name of the Member (in block letters)	Father's/ husband's name	Permanent address	Ranchi address	Date of election/ nomination	Name of political party to which he belongs	Name of legislature party to which he belongs	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

By order of the Speaker, Jharkhand Legislative Assembly

Sd/-
Secretary
Jharkhand Legislative Assembly, Ranchi

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 2--300--16-5-2023 ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित।